HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 427/2026

Parsa Ram Bhati S/o Rameshwar Lal, Aged About 32 Years, Resident Of Kasumbi Jakhala P.s. Jaswantgarh District Deedwana Kuchaman .(At Present Lodged In District Jail Nagaur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. R.S. Choudhary Mr. Shaitan Singh Hemaguda Mr. Rakesh Dhaka Mr. Udit Talwar
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

24/02/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना जसवन्तगढ, जिला डीडवाना–कुचामन** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 146/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **74, 308(2), 64(2)(M), 70(2) भारतीय न्याय संहिता व 5(G)/6 पोक्सो अधिनियम व 3(2)(va), (3)(1)(w)(ii) एससी/एसटी अधिनियम** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। पीड़िता के साथ प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा बलात्कार किए जाने का कोई आरोप नहीं है। पीड़िता के साथ बलात्कार करने का आरोप बिहारीलाल के विरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में इस आधार पर गिरफ्तार किया गया है कि पीड़िता के अश्लील वीडियो जो प्रार्थी/अभियुक्त के मोबाइल फोन पर आए हैं उन

वीडियो को पीड़िता को दिखाकर उसे धमकाया। प्राथी/अभियुक्त के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2), 78(2), 351(2) व आईटी एक्ट की धारा 67ए के दंडनीय आरोप का आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए तथा यह देखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 19.12.2025 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विचारण में समय लगने की संभावना है। प्राथी/ अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता के साथ बलात्कार करने का आरोप नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **परसाराम भाटी पुत्र रामेश्वर लाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 146/2025, पुलिस थाना जसवन्तगढ़, जिला डीडवाना–कुचामन** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **50,000/–रुपए (अक्षरे रुपये पच्चास हजार मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **25,000–25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस–पच्चीस हजार मात्र)** की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त

को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

8-Nitin Jagtiani/-